



# छेदी लाल राधेश्याम महाविद्यालय

जसरथपुर, मिश्रिख-सीतापुर

पत्रांक... CLRSM/26/2021

कुल सचिव का कार्यालय

आंक प्राप्ति

संख्या 9108

दिनांक 1.10.2021

तिथि 1-10-2021

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007

शुभम, कुल सचिव महोदय  
लखनऊ विश्व-विद्यालय  
लखनऊ

सन्धि -> संकायित महाविद्यालय में प्राचार्य श्री गीतुमते देव विद्यापत  
विश्व-विद्यालय श्री वेवसाह पर मपकोड को ई-साबधने!

महोदय, साधर उम्माव उल्लेख है कि महाविद्यालय में प्राचार्य श्री गीतुमते देव को दिनांक 01/10/2021 को लखनऊ परिसर में प्रकाशित उल्लेख गया है।  
जहां प्रकाशित की गई है कि प्राचार्य श्री गीतुमते देव विद्यापत विश्व-विद्यालय श्री वेवसाह पर मपकोड उल्लेख की त्रुटि करें।  
विद्यालयों की धाराओं का उल्लेख है।

इंचाफ अकाउंट

04.10.2021

प्रबन्धक

छेदीलाल राधेश्याम महाविद्यालय

जसरथपुर, मिश्रिख-सीतापुर

अब डकनगर पहुँच कर औचित्य निरीक्षण किए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ओपीडी, आर टी सी और लैब, कोविड वैक्सिनेशन

**परीक्षा में विद्यार्थियों में भावनात्मक स्थिति, सीतापुर**

**आवश्यकता है**

प्राचार्य एवं सह-आचार्य की। हिन्दी, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व शणित प्रती विषय-1 शिक्षक। योग्यता एवं देतनमान यू.जी.सी. के नियमानुसार।

9453030922  
8840203305

**अचलती सूचना**

सम्मान वास्ते करार बाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बिसवाँ जि.सीतापुर कम्प्यूटर बाद संख्या : 201910640403206 दायरा : 31.07.2019 तारीख पेशी 25.02.2021 धारा-243.प्र.रा.सं. ग्राम-करीमपनाह पर.तह.बिसवाँ सीतापुर

रामनारायण पुत्र रामचरन निवासी ग्राम कन्धईपुरवा मजरा करीमपनाह परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर...जादी बनाने

1. लालजी पुत्र फोखई निवासी ग्राम कन्धईपुरवा मजरा करीमपनाह परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर 2. विपिन वर्मा पुत्र ओम प्रकाश वर्मा नि. 8/123 सेक्टर 8 जानक्रीपुरम विस्तार जिला लखनऊ वारिदहाल ग्राम बेलझरिया निकट आई.सी.आई.सी.बैंक मजरा बिसवाँ देहात परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर। 3. ग्राम सभा करीमपनाह द्वारा ग्राम प्रधान परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर

.... प्रतिवादीगण वाद अं.धारा -24 रा.सं.उ.प्र.बाबत कराये जाने पैमाइश गाटा सं. 190/0.016हे. व 191/0.040 हे.स्थित ग्राम करीमपनाह परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर

मैं आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुकम होता है कि जो आप व तारीख 25.02.2021 ई बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमा हालात से करार चाकई वाकिफकार किया गया हो और कुल अहम उमूरात मुताबिक का जबाब दे सके या जिसके साथ और कोई सख्ता हो जो कि जवाब ऐसे सवालनात का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा की करें और आपको लाजिम है जो उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश कर जिन पर आप बताइद अपनी जबाबदेही के इस्तेदलाल करना चाहते हो।

आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगेर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बदस्त मेरे दस्तखत और मोहर अदालत के आज बतारीख माह 02 सन् 2021 ई. जारी किया गया।

आज्ञा से न्यायालय

समय उसका सायत कर क बुलाया, एक्स-रे कक्ष का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित डक्टर टीम को निर्देश देते हुए कहा कि पैथोलजी लैब रिपोर्ट तत्काल मरीजों को उपलब्ध कराया जाए, लैब रिपोर्ट में किसी प्रकार की देरी न किया जाए। उन्होंने साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाने को कहा साथ ही साथ दवाओं को उपलब्धता मानक के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा मरीजों को ठीक से इलाज किया जाए, किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। डक्टरों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि डक्टर समय से कक्ष में उपस्थित होकर मरीजों का सकुशल इलाज

**अचलती सूचना**

सम्मान वास्ते करार बाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय बिसवाँ जि.सीतापुर वाद संख्या : 04844/2019 अ.धारा-243.प्र.रा.सं. ग्राम-सीपतपुर परगना को.उ. तह.बिसवाँ जि.सीतापुर तारीख पेशी 27.02.2021

मु. कृष्णादेवी बेवा रामतीरथ निवासी ग्राम तिवारिनपुरवा मजरा सीपतपुर परगना को.उ.तह.बिसवाँ जिला सीतापुर। उ.प्र.....बादिनी

बनाने 1. बैजनाथ पुत्र सिपाहीलाल 2. हरद्वार पुत्र सिपाहीलाल 3. रामू पुत्र सिपाहीलाल 4. जनार्दन प्रसाद पुत्र त्रियुगी नारायण 5. रामदुलारे पुत्र त्रियुगी नारायण 6. आनन्द कुमार पुत्र त्रियुगी नारायण 7. रामसनेही पुत्र छेदू 8. लालई पुत्र छेदू 9. जगदम्बा प्रसाद पुत्र अयोध्या निवासोपगण ग्राम तिवारिनपुरवा म.मजरा सीपतपुर परगना को.उ.तह. बिसवाँ जिला सीतापुर उ.प्र.। 10. कमलेश चन्द्र मिश्र पुत्र पंगा दयाल मिश्र निवासी मो. 624घ/125 निकट पुलिस कालोनी चिनहट लखनऊ उ.प्र.। 11. 28/1 टुंगीप्रसाद पुत्र सियाराम निवासी ग्राम तिवारिनपुरवा म. सीपतपुर परगना को.उ.तह.बिसवाँ जि. सीतापुर.....प्र तिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा- 24 उ.प्र.रा.सं.

ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुकम होता है कि जो आप व तारीख 27.02.2021 ई बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमा हालात से करार चाकई वाकिफकार किया गया हो और कुल अहम उमूरात मुताबिक का जबाब दे सके या जिसके साथ और कोई सख्ता हो जो कि जवाब ऐसे सवालनात का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा की करें और आपको लाजिम है जो उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश कर जिन पर आप बताइद अपनी जबाबदेही के इस्तेदलाल करना चाहते हो।

आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगेर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

असस्त मेरे दस्तखत और मोहर अदालत के आज बतारीख माह सन् 2021 ई. जारी किया गया।

आज्ञा से न्यायालय

विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। किसान मोर्चा के अध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिन किसानों को जेल भेजा गया है। उनको तत्काल रिहा किया जाए और मुकदमे वापस लिए जाए। दिल्ली बर्डर पर धरना दे रहे किसानों की मांगों पर अब तक सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार उन्हें कर्षी डराने का काम करती है तो कभी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर के आंदोलन को कुचलने का कुचक्र रच रही है अब तक कई दर्जन किसान ठंड में अपनी जान गवा चुके हैं इसके बाद भी इस संवेदनहीन सरकार को जीत नहीं छूट रही है पूरे देश में पि कानूनों का किसान एक स्वर में विरोध कर रहे हैं अगर इस पर विचार विमर्श कर संज्ञान ले ले और किसानों की मांगों को तत्काल पूरी की जाए नहीं तो हर जिले में दिल्ली जैसा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर

**उद्योषणा-पत्र**

सम्मान वास्ते करार बाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) बिसवाँ, जिला सीतापुर प्रकीर्ण/उत्तराधिकार वाद सं. 56 सन् 2019

तारीख दायरा : 04.10.2019 नियत पेशी : 08.03.2021 श्रीमती सीतादेवी पत्नी जानकी प्रसाद निवासी ग्राम सुआवां खुर्द पोस्ट मंनिकापुर परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर.....प्रार्थिनी

बनाने जायदाद स्व.अंजली वर्मा पुत्री स्व. जानकी प्रसाद निवासी ग्राम सुआवां खुर्द पोस्ट मंनिकापुर परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर।

1. विनीता पुत्री जानकी प्रसाद पत्नी अंकित निवासी ग्राम जगदीशपुर परगना सदरपुर तहसील महभूराबाद जिला सीतापुर

हरगोह श्रीमती सीतादेवी उपरोक्त ने इस न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित जायदाद के सम्बन्ध में है।

विवरण जायदाद खाताधारक अंजली वर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद ग्राम सुआवां खुर्द, पो.मंनिकापुर, जिला सीतापुर संस्था/बैंक का नाम पता व खाता संख्या/पालिसी संख्या भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बिसवाँ सीतापुर पालिसी संख्या 226276425 राशियाँ 75,000/-व अन्य व ब्याज

अतः हर खासी आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र उपरोक्त के विरुद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नियत तिथि को समय 10 बजे प्रातः न्यायालय में उपस्थित जाकर प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 08.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी।

सिविल जज (जू.डि.) बिसवाँ-सीतापुर

यादव अध्यक्ष किसान बेर सशक्तिकरण संघ, केले मजदूर संघ यूनिनयम, सुनील अध्यक्ष लोक शक्ति संघ, शि यादव प्रदेश अध्यक्ष अन् निहाल अहमद सिद्दीकी, यादव जिलामहासचिव,सा यादव अध्यक्ष,मयाराम यादव लोग उपस्थित रहे।

**सूचना**

सर्वविदित हो कि मैं नन्दल पुत्र स्व. शिवशंकर निव 591ए/406 बलदेव वि तेलीबाग लखनऊ का हूँ। अपनी पत्नी श्रीमती सुभावती (SUGHAWATI DEVI) पिछले 8 वर्षों से सम्बन्ध विच कर लिया है। उसके चाल-चर आचार-विचार व व्यवहार ठ न होने के कारण मैं अपनी सम चल व अचल सम्पत्ति से बेदख करते हुए अपने सम्बन्ध विच्छ करता हूँ। भविष्य में उसके द्व किये गये किसी भी कार्य व ले देन के प्रति मेरी कोई जिम्मेद न होगी।

**पब्लिक नोटिस**

सर्वसाधारण को सूचित कि जाता है कि चंद्रपाल यादव पुत्र बल यादव निवासी को.अ.पी. रोड 57C 147, कासिमपुर पकरी आलमबाग जिला लखनऊ जो कि भूमि खस संख्या 161स, रकबा 0.0420 हे.स्थित ग्राम कासिमपुर पकरी, परगना बिजुनौर तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ में, जंगबहादुर, राधेलाल, पुत्रगण दुग् व श्रीमती रिकी शर्मा पत्नी सुरेन्द्र कुमा शर्मा व श्रीमती रूचि शर्मा पत्नी अनुप शर्मा के साथ बतौर सहखातेदार दण है, उपरोक्त चंद्रपाल यादव अपने भाग में से भूखण्ड संख्या 8, खसर संख्या 161स का भाग, रकबा 115C वर्गफिट स्थित ग्राम कासिमपुर पकरी, परगना बिजुनौर, तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ जिसकी चौहद्दी पूरब 20 फिट चौड़ी रोड, पश्चिम अराजी भवन, उत्तर भूखण्ड संख्या-9 विक्रेता, दक्षिण भूखण्ड संख्या 7 पर निर्मित भवन (प्रिया कुमारी) को श्रीमती राजकुमारी व जितेन्द्र कुमार राम को विक्रय कर रहे हैं तथा उक्त भूखण्ड आधार हाउसिंग फाईनेस लि. लखनऊ में श्रीमती राजकुमारी व जितेन्द्र कुमार राम के नाम से बंधक किया जा रहा है। यदि किसी अन्य व्यक्ति या किसी वित्तीय संस्था या बैंक या सहखातेदार को क्रय विक्रय या बंधक के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो निम्न पते पर सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आपत्ति करने का कष्ट करें, उपरोक्त समयाधि के बाद किसी प्रकार का कोई दावा विचार योग्य नहीं माना जायेगा। आपत्ति हेतु सम्पर्क करें, दिलीप कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट कार्यालय पता-डी-227/ए, कुर्माचल नगर, इन्द्रिा नगर लखनऊ मो. 9415085764

19 त्रि